

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज

सरकार/संतीष

24/7/24

पत्रावली पेश हुई उक्तपत्रकार उपस्थित
 माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील
 अधिकारी स्वीकर द्वारा 30/6/21 को, 177
 की गल्लवाही के निर्णय अपास्त किया गयाथा
 प्रतिवादी स० 27 के विभाजन का दावा
 प्राथमिक डिक्री किया गया था। तहसीलदार
 ने पत्रांक 2024/1859 दिनांक 23/7/24
 में बताया सम्बन्धित खसरा न० 1562
 में प्रतिवादी संख्या 27 की खसरी नहीं है।
 केपान कर दिया है। अतः पत्रावली निस्तारित
 की जावे। अर्थात् विभाजन के दावे में खसरी
 नहीं है अतः पत्रावली रिपोर्ट के आधार पर
 इसी दस्त पर खारिज की जाती है। पत्रावली
 के निर्णय से इजलास सुनाया गया पत्रावली
 प्रसत सुनाए है नम्बर से सम ही

